न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	30 / 2017
सरकार	बनाम	प्रकाश पुत्र प्रेमसुख, जाति– मेघवाल, निवासी– बामनवास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.03.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल प्रकाश पुत्र प्रेमसुख, जाति– मेधवाल, निवासी– बामनवास, द्वारा रोही मौजा बामनवास की राजकीय भूमि ख.नं. 355 कुल रकबा 25.75 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र कृष्ण कुमार ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं दौराने पेशी उसने बताया कि उसके पिता का देहान्त हो गया है। इसके अलावा पटवारी हल्का द्वारा भी आज दिनांक को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि उक्त प्रकाश पुत्र प्रेमसुख, जाति– मेघवाल, निवासी– बामनवास की मृत्यु हो गई है। चूंकि गैर सायल प्रकाश पुत्र प्रेमसुख का देहान्त हो चुका है अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही संभव नही होने के कारण कार्यवाही ड्रोप की जाती है। गैर सायल प्रकाश के पुत्र कृष्ण कुमार के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा पृथक से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़